दिनांक 26.04.2024
प्रेस विज्ञप्ति 28/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गोरखपुर/थाना कैण्ट

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 26.04.2024 को थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त महेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गोरखपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना खोराबार पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—महेन्द्र निवासी सिकरौदा थाना जौरा जनपद मुरैना मध्यप्रदेश।

जनपद चित्रकूट/थाना मानिकपुर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 26.04.2024 को थाना मानिकपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुक्तिधाम से हरदौली पुरवा जाने वाले रास्ते से पुरस्कार घोषित अभियुक्त संजय उर्फ सुक्खू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मानिकपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मानिकपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संजय उर्फ सुक्खू निवासी ग्राम गढ़चपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना सिखेडा

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 2750/– रूपये नगद**
- **लूट का मोबाइल फोन**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 26.04.2024 को थाना सिखेडा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भण्डूर तिराहा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सुहैल घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–सचिन 3–पवित सहित गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 2750 रूपये

नगद, लूट का मोबाइल फोन, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.04.2024 को थाना सिखेडा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिखेडा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन, रूपया, मोटर साइकिल लूट/चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सुहैल के विरूद्ध जनपद बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त सचिन के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी आदि के 03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिखेडा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुहैल निवासी सफीपुर पट्टी कस्बा व थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

2–सचिन निवासी ग्राम बेहडा थ्रू थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर।

3–पवित निवासी ग्राम बेहडा थ्रू थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–लूट के 2750 रूपये नगद।

2–लूट का मोबाइल फोन।

3–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मऊ/थाना मधुबन

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने के आभूषण**
- **02 हजार रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस**
- **02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 25.04.2024 को थाना मधुबन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिकड़ी कोल तिराहा के पास से 05 अभियुक्तों 1–अभिषेक उर्फ आकाश 2–ऋषभ उर्फ शेरू 3–कृष्णा उर्फ पंकज 4–दो अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने के आभूषण, 02 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.04.2024 को थाना मधुबन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मधुबन पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मधुबन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अभिषेक उर्फ आकाश निवासी किशुनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

2–ऋषभ उर्फ शेरू निवासी किशुनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

3–कृष्णा उर्फ पंकज निवासी किशुनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

4–दो अभियुक्ता।

बरामदगी

1—चोरी के सोने के आभूषण।

2—02 हजार रूपये नगद।

3—03 मोबाइल फोन।

4—03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

5—02 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना न्यू आगरा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 05 हजार 500 रूपये नगद**
- **चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 25.04.2024 को थाना न्यू आगरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुष्पाजंली सीजन के पास से अभियुक्त विजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 05 हजार 500 रूपये नगद, चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.04.2024 को थाना न्यू आगरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना न्यू आगरा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया, आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना न्यू आगरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विजय निवासी ग्राम मुच्छा नगरिया थाना अरबा कटरा जनपद औरैया।

बरामदगी

1—चोरी के 05 हजार 500 रूपये नगद।

2—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण आदि।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 03 करोड़ 12 लाख 50 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस ने अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ डी0के0 पुत्र सुरेश चन्द्र निवासी ग्राम अजायपुर थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल सम्पत्ति कीमत करीब 03 करोड़ 12 लाख 50 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना मोहम्मदपुर खाला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना मोहम्मदपुर खाला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए/506 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राममोहन को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद रायबरेली/थाना बछरावां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रायबरेली द्वारा थाना बछरावां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त श्रवण को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, लगभग 362 कि0ग्रा0 गॉजा (अंतर्रराष्ट्रीय कीमत लगभग 90 लाख) बरामद।

दिनॉकः 26–04–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लगभग 362 किलोग्राम गॉजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 90 लाख) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

1– जगदीश कुमार जायसवाल पुत्र रमेश चन्द्र जायसवाल नि0 वैदा बाजार, थाना गोपीगंज, प्रयागराज।

2– गुलाम हसन पुत्र मुख्तार अहमद नि0 जैदपुर थाना सराय इनायत, प्रयागराज।

3– ललित सिंह पुत्र जय बहादुर सिंह नि0 सराय चचाक, थाना सराय इनायत, प्रयागराज।

बरामदगी :–

1– बरामद अवैध गांजा वजन करीब 361.700 कि0ग्रा0

2– 01 अदद आयशर ट्रक (यूपी–50–सीटी–0294)

3– 16,200/–रु0 नगद।

4– 03 अदद मोबाइल फोन।

5– 01 अदद डीएल।

6– 01 अदद पैन कार्ड।

7– 01 अदद आधार कार्ड।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थानः–

दिनाँक–26–04–2024 समय 07.45 बजे प्रातः देवताराम तालाब, ग्राम नकरामपुर, थाना फूलपुर, प्रयागराज।

विगत कुछ दिनों से एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को उडीसा, आन्ध्र प्रदेश आदि राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ

प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ की एक टीम जनपद प्रयागराज में मौजूद थी। इस दौरान सूचना मिली कि कुछ लोग उडीसा राज्य से अवैध मादक पदाथ (गॉजा) की बड़ी खेप लेकर आयसर ट्रक नं0 यूपी–50–सीटी–0294 से उडीसा राज्य से प्रयागराज आने वाले है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा देवताराम तालाब, ग्राम नकरामपुर, थाना फूलपुर, प्रयागराज के पास उक्त ट्रक को रोककर तलाशी ली गयी, तो उसमें भारी मात्रा में गॉजा पाया गया, जिस पर उसे कब्जे में लेते हुए 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है, जो बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करता है। इस गिरोह का सरगना जगदीश जायसवाल उपरोक्त है, जो उड़ीसा के बड़े तस्करों से सम्पर्क कर गॉजा मंगाता है। गिरोह के सदस्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गांजे की बड़ी खेप लाकर विभिन्न राज्यों में सप्लाई करते है। जगदीश वहॉ के तस्करों से डील करके अपने कैरियरों के माध्यम से यूपी में गॉजा मंगाता है, जिसे गैंग के सदस्यों द्वारा प्रयागराज व आस–पास के जनपदों में इसकी सप्लाई कराता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध फूलपुर, प्रयागराज में मु0अ0सं0 104/2024 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा हैं, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

———–